प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक/ एन0ओ0सी0/ 5815-19/2022-23, मेरठ दिनांक : 22/09/22

विषय :- डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, हापुड़ को विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या/सी0बी0एस0ई0/ए0एफ0एफ0/2130438/2022 दिनांक 31-08-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने अवगत कराया है कि " बोर्ड ने आदेश दिनांक 04-06-2019 के द्वारा डी0ए0वी0पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, हापुड, उत्तर प्रदेश को असम्बद्व कर दिया था और उसके एक प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गयी थी। अब उक्त विद्यालय ने ऑनलाइन आवेदन संख्या-(आर0ई0-0003-2223) के तहत सम्बद्वता बहाली के लिये आवेदन किया गया है, किन्तु स्कूल ने अब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अद्यतन प्रति जमा नही करायी है।" आपके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विभाग द्वारा वर्ष 1994 में इस स्कूल को अनापत्ति पत्र जारी किया गया था। इस प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति बताने का आपके द्वारा अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1916/15-07-9 (299)/2007 दिनांक 14-07-2009 (प्रति संलग्न) द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर मण्डलीय समिति का गठन किया गया है। इस शासनादेश दिनांक 14-07-2009 से पूर्व विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रदत्त किये जाने की व्यवस्था विद्यमान थी।

आपके सन्दर्भित पत्र दिनांक 31-08-2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत संस्था को विभाग द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वर्ष 1994 का है, जोकि शासनादेश दिनांक 14-07-2009 से पूर्व निर्गत है। उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस कार्यालय द्वारा निर्गत नही है। अतः प्रश्नगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र की अद्यतन स्थिति/सत्यापन हेतु उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के सम्बन्धित अनुभाग से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः- उक्तवत्।

भवदीय

(ऑकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
प्रथम मण्डल मेरठ। 21/09/22

पृष्ठांकन संख्या/एन0ओ0सी0/ 5815-19/2022-23 मेरठ तद् दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषितः-

1-आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-जिलाधिकारी, हापुड की सेवा मे सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3-जिला विद्यालय निरीक्षक, हापुड।
4- प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, हापुड। O/C

21/09/22

(ऑकार शुक्ल)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, मेरठ। 21/09/22

Scanned with CamScanner

संख्या-3216/15-7-94-16(1)(31)/1994

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीति विहार नयी दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 18 अक्टूबर, 1994

विषय:- डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल 5 जवाहरपुरम कोर्ट कालोनी मेरठ रोड, हापुड़ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल मेरठ रोड, हापुड़ को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान एवं अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Self Attested
Principal
D.A.V Public School
Delhi Road, HAPUR

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय विद्यालय का निजी भवन मानकानुरूप बनाकर शासन को 2 वर्ष के भीतर अवगत कराया जाय तथा प्रबन्ध समिति का कोई भी सदस्य/पदाधिकारी विद्यालय के वैतनिक पद पर कार्यरत नहीं होगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

/

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

पृ0सं0 3214(1)/15-7-1994 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, डी0ए0वी0 पब्लिक स्कूल मेरठ रोड 5 अकबरपुर अशोक कालोनी हापुड़ गाजियाबाद ।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उप सचिव ।

Self Attested

Principal
D.A.V. Public School
Delhi Road, HAPUR